मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजीव गाँधी खेल अभियान योजना की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 07.11.2014 का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

2- राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव, महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा हाल ही में कार्यभार ग्रहण किये जाने के कारण बैठक की विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण सचिव, युवा कल्याण विभाग द्वारा करते हुए, बैठक में प्रतिभाग कर रहे सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की अनुमति से बैठक का आरम्भ करते हुए राजीव गाँधी खेल अभियान योजना के सम्बन्ध में सभी मुख्य-मुख्य बिन्दुओं से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया।

3- राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के सम्मुख निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किए गयेः-

(1) <u>एजेण्डा बिन्दु-01</u>

ब्लाक स्तरीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के रूप में खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजनः-

1. भारत सरकार की ऑपरेशनल गाइड-लाइन्स के अनुसार मानक से अधिक दूरी के आरजीकेए के 32 प्रस्ताव, बीआरजीएफ के अन्तर्गत 28 एवं एसीए के अन्तर्गत 02 प्रस्ताव, कुल 62 प्रस्ताव में दूरी की शिथिलता प्रदान करते हुए तथा मानक के अनुरूप आरजीकेए के 21, बीआरजीएफ के 12 एवं एसीए के 03 प्रस्ताव, कुल 36 प्रस्ताव, अर्थात् 98 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. जिन जनपदों से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, उन जनपदों के जनपद स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथा आवश्यकता दूरी की शिथिलता प्रदान करते हुए भारत सरकार को यथा समय प्रेषित किए जाने हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया। ऐसे समस्त प्रकरणों पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की अनुवर्ती बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(कार्यवाहीः युवा कल्याण विभाग)

(2) **एजेण्डा बिन्दु-2 (बजट व्यवस्था)**

(अ)ग्राम पंचायत स्तरीय खेलकूद मैदान-

इसके अन्तर्गत प्रदेश के 51925 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु लक्षित 10385 ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना से खेल मैदानों के विकास हेतु प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। ग्राम पंचायतों में क्रियान्वयन एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

बजट व्यवस्था-

ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान के विकास हेतु अधिकतम 02 एकड़ की भूमि के मानक का मानते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु रू0 2546.25 करोड़ (रूपये पच्चीस अरब छियालिस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) धनराशि मनरेगा योजना से ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से जनपदों को उपलब्ध कराई जानी होगी।

(ब)ब्लाक स्तरीय आउटडोर प्लेफील्ड-

इसके अन्तर्गत मनरेगा योजना से प्रत्येक विकास खण्ड की भूमि पर रू0 80.00 लाख की धनराशि से आउटडोर प्लेफील्ड का निर्माण किया जायेगा।

बजट व्यवस्था-

वित्तीय वर्ष 2014-15 के 165 विकास खण्डों हेतु रू0 132.00 करोड़ (रूपये एक अरब बत्तीस करोड़ मात्र) धनराशि की आवश्यकता होगी। इससे सम्बन्धित प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है। ब्लाक पंचायतों में क्रियान्वयन एजेन्सी संबंधित क्षेत्र पंचायत होगी। उक्त धनराशि ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से जनपदों को उपलब्ध कराई जानी होगी।

(स) ब्लाक स्तरीय इण्डोर स्पोर्ट्स हाल-

भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ब्लाक स्तरीय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स मे इण्डोर स्पोर्ट्स हाल का निर्माण आरजीकेए, बीआरजीएफ एवं एसीए की धनराशि से किया जायेगा। तद्क्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 में लक्षित 165 विकास खण्डों के सापेक्ष आरजीकेए के अन्तर्गत 40 जनपदों के 80 विकास खण्डों, बीआरजीएफ के अन्तर्गत 32 जनपदों के 78 विकास खण्डों एवं एसीए के अन्तर्गत 03 जनपदों के 07 विकास खण्डों में इण्डोर स्पोर्ट्स हाल का निर्माण किया जाना है।

बजट व्यवस्था-

उपरोक्तानुसार बीआरजीएफ के अन्तर्गत पंचायतीराज विभाग से 78 इण्डोर स्पोर्ट्स हाल हेतु रू0 6240.00 लाख की धनराशि, एसीए के अन्तर्गत नियोजन विभाग से 07 इण्डोर स्पोर्ट्स हाल हेतु रू0 560.00 लाख तथा आरजीकेए के अन्तर्गत 80 इण्डोर स्पोर्ट्स हाल हेतु रू0 6400.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था में 75प्रतिशत अर्थात् रू0 4800.00 लाख केन्द्र सरकार से तथा 25प्रतिशत धनराशि रू0 1600.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

सचिव, युवा कल्याण द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं नियोजन विभाग से बजट व्यवस्था के सम्बन्ध में हुई बैठक से समिति को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिवों द्वारा भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा युवा कल्याण के इण्डोर स्पोर्ट्स हॉल के लिए अपेक्षित धनराशियों की व्यवस्था किए जाने की अपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों से भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से समन्वय स्थापित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

-3-

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्तावित बजट व्यवस्था पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (कार्यवाहीः पंचायतीराज विभाग/नियोजन विभाग)

ग्राम पंचायत स्तरीय खेल मैदान एवं ब्लाक स्तरीय आउटडोर प्लेफील्ड के निर्माण हेतु मनरेगा योजना से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया।

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्तावित बजट व्यवस्था पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः ग्राम्य विकास विभाग)

आरजीकेए के अन्तर्गत 80 इण्डोर स्पोर्ट्स हाल हेतु रू0 6400.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था में 75प्रतिशत अर्थात् रू0 4800.00 लाख केन्द्र सरकार से तथा 25प्रतिशत धनराशि रू0 1600.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है। इस सम्बन्ध में सचिव, युवा कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में युवा कल्याण विभाग के बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था है तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने पर राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्तावित बजट व्यवस्था पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (कार्यवाहीः युवा कल्याण विभाग)

(3) एजेण्डा बिन्दु संख्या-3

इण्डोर स्पोर्ट्स हॉल के निर्माण हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी का निर्धारण-

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 05 कार्यदायी संस्थाओं (सीपीएसयूज)- इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कॉन्सट्रक्शन लिमिटेड, ब्रिज एवं रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0 एवं नेशनल प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा इण्डोर स्पोर्ट्स हॉल के निर्माण किए जाने तथा उन्हें जनपद आवंटित किए जाने हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रस्तुत किए जाने से समिति को अवगत कराया गया।

(कार्यवाहीः युवा कल्याण विभाग)

(4) <u>बिन्दु संख्या-4</u>

वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की समय-सारिणी-

वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की समय-सारिणी से समिति को अवगत कराया गया। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रदेश में पायका योजनान्तर्गत चयनित 10 खेल विधाओं यथा-हॉकी, फुटबाल, वालीबाल, एथलेटिक्स, जूडो, कबड्डी, टेबल-टेनिस, कुश्ती, तीरन्दाजी एवं भारोत्तोलन को राजीव गाँधी खेल अभियान के अन्तर्गत अंगीकृत किए जाने तथा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की समय-सारिणी पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः युवा कल्याण विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव।

-4-